Think IAS...

दृष्टि The Vision

Think Drishti

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC)

नैतिकता, सत्यनिष्ठा व अभिवृत्ति

(भाग-2)

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम (Distance Learning Programme)

Code: UKPM21

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC)

नैतिकता, सत्यनिष्ठा व अभिवृत्ति

(भाग–2)

641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501
टोल फ्री : 1800-121-6260
Web : www.drishtiIAS.com
E-mail : online@groupdrishti.com

पाठ्यक्रम, नोट्स तथा बैच संबंधी updates निरंतर पाने के लिये निम्नलिखित पेज को "like" करें
www.facebook.com/drishtithevisionfoundation
www.twitter.com/drishtiias

UKPSC DLP

विषय सूची (Contents)

6.	**सिविल सेवा के लिये अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य**	**5–24**
6.1	अभिरुचि क्या है	5
6.2	अभिरुचि परीक्षण	7
6.3	सिविल सेवा के लिये आधारभूत मूल्य	8
7.	**लोक प्रशासन में सिविल सेवा मूल्य तथा नैतिकता**	**25–51**
7.1	प्रशासन में नैतिक स्थिति के निर्धारक	25
7.2	भारतीय प्रशासन में सामान्य नैतिक समस्याएँ/मुद्दे	26
7.3	नैतिक संशय/दुविधा	27
7.4	नैतिक चिंताएँ	30
7.5	नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत : विधि, नियम, विनियम व अंतरात्मा	31
7.6	उत्तरदायित्व एवं नैतिक शासन	38
7.7	अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिक मुद्दे	44
7.8	कॉर्पोरेट शासन व्यवस्था	49
8.	**शासन व्यवस्था में ईमानदारी**	**52–67**
8.1	लोक सेवा की अवधारणा	52
8.2	शासन तथा ईमानदारी के दार्शनिक आधार	54
8.3	सरकार में सूचना का आदान-प्रदान और पारदर्शिता	56
8.4	कार्य संस्कृति	57
8.5	नीति संहिता एवं आचरण संहिता	60
8.6	सार्वजनिक निधियों का उपयोग	64

9. भ्रष्टाचार **68–95**

9.1 भ्रष्टाचार : प्रकार एवं कारण 68

9.2 भ्रष्टाचार के प्रभाव 73

9.3 भ्रष्टाचार को अल्पतम करने के उपाय 74

9.4 भ्रष्टाचार निवारण में समाज, परिवार, सूचना तंत्र एवं व्हिसल ब्लोअर की भूमिका 88

9.5 उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग 92

10. आपदा प्रबंधन में लोक सेवकों की भूमिका **96–111**

10.1 आपदा एवं आपदा प्रबंधन 97

10.2 आपदा प्रबंधन हेतु प्रशासनिक ढाँचा 100

10.3 प्रचलित/सहायक विधि के अंतर्गत आपदा प्रबंधन संबंधी तकनीक का विकास 103

10.4 आपदा प्रबंधन एवं लोक-सेवक 109

11. केस स्टडी **112–148**

12. महत्त्वपूर्ण शब्दावली एवं उनमें अंतर **149–155**

अध्याय
6

सिविल सेवा के लिये अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य (Aptitude and Foundational Values for Civil Services)

संवैधानिक लक्ष्यों की प्राप्ति तथा प्रशासन में दक्षता के लिये शासन व्यवस्था में नैतिक मूल्यों का होना आवश्यक है। देश की शासन व्यवस्था की स्टील फ्रेम लोक-सेवाएँ इन लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रयास करती हैं, इसलिये लोक-सेवाओं के लिये कुछ अनिवार्य आधारभूत योग्यताओं के होने की अपेक्षा की जाती है। एक सिविल-सेवक के सेवा काल में कई ऐसे मौके आते हैं जब उसे कठिन निर्णय लेने होते हैं और उसके निर्णय में थोड़ी-सी भी चूक कई व्यक्तियों के जीवन पर भारी पड़ सकती है। अच्छे शासन की नींव स्थिरता और मधुर संबंधों को सुनिश्चित करते हुए नैतिक गुणों पर रखी जानी चाहिये। सुशासन की स्थापना के लिये लोक-सेवकों में सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, निष्पक्षता, सहिष्णुता, राजनीतिक तटस्थता, वस्तुनिष्ठता, समानुभूति, वंचित वर्गों के प्रति करुणा तथा धर्मनिरपेक्षता जैसे मूल्यों का होना आवश्यक है। साथ ही अपने कार्यक्षेत्र एवं दायित्वों के अनुरूप अभिरुचि होना भी आवश्यक है। लोक सेवा में नैतिकता एवं तार्किकता के सभी मूल्यों का समावेश किया जाना आवश्यक है। हमारे सिविल-सेवकों को संवेदनशील होना पड़ेगा ताकि वे जनता के दु:ख-दर्द को समझ सकें और लोकतंत्र की बेहतरी में योगदान दे सकें।

6.1 अभिरुचि क्या है *(What is Aptitude)*

अभिरुचि से आशय व्यक्ति की उस तत्परता, रुझान या क्षमता से है जो किसी पद एवं उसके कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण करने हेतु आवश्यक है जिनका विकास, शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा संभव है तथा समयानुकूल सुधार की संभावना भी उपलब्ध रहती है। अभिरुचि कोई एक गुण नहीं है बल्कि एकाधिक गुणों का सम्मिलित संयोजन है। यह मानव क्षमता का एक महत्त्वपूर्ण अंग है।

फ्रीमैन के अनुसार, "अभिरुचि का तात्पर्य गुणों तथा विशेषताओं के एक ऐसे संयोग से होता है जिससे विशिष्ट ज्ञान तथा संगठित अनुक्रियाओं के कौशल, जैसे– किसी भाषा को बोलने की क्षमता, यांत्रिक कार्य करने की क्षमता आदि का पता लगाया जा सकता है।

बिंघम के अनुसार, "अभिरुचि किसी व्यक्ति के प्रशिक्षण के पश्चात् उसके ज्ञान, दक्षता या प्रतिक्रियाओं को सीखने की योग्यता है।" अभिरुचि को अभिरुचि भी कहा जाता है।

अभिरुचि किसी व्यक्ति की विशेषताओं का ऐसा संयोजन है जो बताता है कि अगर उसे उचित वातावरण तथा प्रशिक्षण दिया जाए तो वह किसी क्षेत्र विशेष में सफल होने के लिये आवश्यक योग्यताओं तथा दक्षताओं को सीखने की कितनी क्षमता रखता है। यह किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित कौशल को सीखने की अथवा ज्ञानार्जन की जन्मजात अथवा अर्जित क्षमता है। आमतौर पर अभिरुचियाँ जन्मजात होती हैं लेकिन वे अर्जित भी हो सकती हैं। अभिरुचि बुद्धिमत्ता (intelligence), ज्ञान (knowledge), समझ (understanding), रुचि (Interest) व कौशल (skills) से भिन्न है।

अभिरुचि की विशेषताएँ *(Characteristics of aptitude)*

सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक बिंघम के अनुसार अभिरुचि की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं–

1. व्यक्ति की अभिरुचि वर्तमान गुणों का वह समुच्चय है जो उसकी भविष्य की क्षमताओं की ओर इंगित करता है।
2. यह किसी वस्तु का नाम न होकर अमूर्त संज्ञा है। चूँकि यह व्यक्ति में ही समाहित होता है, इसलिये यह व्यक्ति के गुण या विशेषता की ओर संकेत करती है।
3. यह व्यक्ति की जन्मजात योग्यता ही नहीं होती बल्कि किसी कार्य को करने में उसकी प्रवीणता के भाव को भी व्यक्त करती है।

- **सामाजिक विषमता:** भारत में तेज़ी से बढ़ती आर्थिक-सामाजिक विषमताओं के बीच लोककल्याण एवं अशक्त वर्गों के उन्नयन के लिये लोक-सेवाओं में नैतिक मूल्य स्थापित करने की आवश्यकता है।
- **जागरूकता का विकास:** लोकतांत्रिक राष्ट्र में जनजागरूकता का बढ़ना सकारात्मक संकेत है तथा यह प्रशासन में नैतिक मूल्यों की उपयोगिता को भी बढ़ाता है। शिक्षा का स्तर बढ़ने, मीडिया का प्रसार, जनजागरूकता का बढ़ना, अधिकारों के प्रति सजगता, सिटीजन चार्टर एवं सूचना के अधिकार आदि के कारण प्रशासन में मूल्यों की स्थापना की अनिवार्यता बढ़ गई है।
- **वैश्विक मापदंडों के अनुपालन की अनिवार्यता:** वर्तमान में भारत भ्रष्टाचार पर राष्ट्रसंघ की घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला देश माना जाता है। इस संदर्भ में भारत सहित तीसरी दुनिया के नवस्वतंत्र राष्ट्रों ने भी प्रशासन में नैतिकता का समावेशन करने पर बल दिया है। वैश्विक संवैधानिकता के दौर में अंतर्राष्ट्रीय करारों एवं मानकों का अनुपालन करने की भी अनिवार्यता बाध्य करती है।
- **संवैधानिक उद्देश्य प्राप्त करने के लिये:** लोक-सेवक नीति एवं योजना क्रियान्वयन करने वाली प्रमुख कुंजी होते हैं। अच्छी-से-अच्छी योजना सफल नहीं हो सकती यदि उसे लागू करने वाले लोग भ्रष्टाचारी एवं मूल्यहीन हैं। भारतीय संविधान में उल्लेखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये लोक सेवा में नैतिक मूल्यों का समावेशन आवश्यक है।

भारत में सामान्यत: जनसाधारण की सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रशासन के साथ भागीदारी करने की रुचि का अभाव पाया जाता है। जनता के मन में यह धारणा पाई जाती है कि जो ज़िम्मेदारी सरकार या प्रशासन की है, उसे हम क्यों करें। परंतु, यह तो तय है कि बिना जनता की भागीदारी के लोक कल्याणकारी योजनाओं में पूर्ण सफलता के लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं है। उदाहरण के तौर पर यदि हम 'स्वच्छ भारत अभियान' को ही लें तो जब तक भारत की जनता अपने आस-पास की गंदगी को दूर नहीं करेगी और कूड़ा-कचरा फैलाना या खुले में शौच जाना बंद नहीं करेगी, तब तक 'स्वच्छ भारत' के लक्ष्य की प्राप्ति केवल सरकारी मशीनरी से असंभव ही कही जा सकती है।

एक लोक-सेवक अपने कार्य के प्रति सत्यनिष्ठा, दायित्वों के प्रति ईमानदारी, जनसेवा के प्रति समर्पण भाव, संवेदना जैसे सद्गुणों तथा 'अनुनयन' या 'प्रबोधक संप्रेषण' जैसी योग्यता के सहारे जनता को लोक कल्याण की योजनाओं में भागीदार बना सकता है। जब कोई लोक-सेवक सत्यनिष्ठा से अपना कार्य करता है तो उसे जनता का विश्वास प्राप्त हो जाता है। ऐसा विश्वसनीय लोक-सेवक जब संवेदना से अभिप्रेरित होकर पिछड़े वर्गों एवं वंचितों के उत्थान के लिये समर्पण भाव से ईमानदार कोशिश करता है तो उसे सामाजिक परिवर्तन एवं लोक कल्याण की योजनाओं को लागू करने में जनता का सक्रिय सहयोग मिलता है। उदाहरण के तौर पर इसे मणिपुर के एक युवा आई.ए.एस. अधिकारी आर्मस्ट्रांग पामे की ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का ही परिणाम कहेंगे कि जब आर्मस्ट्रांग पामे ने बिना सरकारी सहायता के लोगों की सुविधा के लिये मणिपुर को असम और नगालैंड से जोड़ने के लिये 100 किमी. लंबी सड़क बनाने की ठानी तो उनकी सहायता के लिये स्वयंसेवकों एवं दानकर्त्ताओं की कतारें खड़ी हो गईं और जनसाधारण के सहयोग से उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त भी किया। लोक-सेवकों को इन सद्गुणों का प्रयोग जनकल्याण के लिये आवश्यक है।

परीक्षोपयोगी महत्त्वपूर्ण तथ्य

- सुशासन या लोक कल्याणकारी शासन की स्थापना के लिये लोक-सेवकों में सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, निष्पक्षता, सहिष्णुता, राजनीतिक तटस्थता, वस्तुनिष्ठता, समानुभूति, अशक्त वर्गों के प्रति करुणा तथा धर्मनिरपेक्षता जैसे मूल्यों का होना आवश्यक है।
- अभिरुचि किसी व्यक्ति की विशेषताओं का ऐसा संयोजन है जो बताता है कि यदि उसे उचित वातावरण एवं प्रशिक्षण दिया जाए तो वह किसी क्षेत्र विशेष में सफल होने के लिये आवश्यक योग्यताओं तथा दक्षताओं को सीखने की क्षमता रखता है।
- **नैतिक शासन:** नैतिक शासन कोई निश्चित अवधारणा न होकर एक सामान्य शब्दावली है जिसका भाव है कि शासन तथा प्रशासन को सभी स्तरों पर नैतिक आचरण करना चाहिये। यह काफी हद तक सुशासन या गुड गवर्नेंस के निकट है।

- लोक सेवा का अर्थ उन सभी व्यक्तियों के कार्य समूह से है जो सरकारी नियोजन के तहत कार्य करते हैं। इसके व्यापक अर्थ में सैन्य एवं असैन्य सभी कर्मचारी सम्मिलित होते हैं।
- लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है।
- वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में गठित द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने वर्ष 2007 में अपनी चौथी रिपोर्ट–'शासन में नैतिकता' (Ethics in Governance) प्रस्तुत की।
- वर्ष 2007 में पब्लिक सर्विस बिल में लोक-सेवकों के लिये नीतिशास्त्रीय मूल्यों को सम्मिलित किया गया।
- वर्ष 2006 से 21 अप्रैल को 'सिविल सेवा दिवस' के रूप में मनाया जाता है।
- लोक सेवा के बुनियादी या आधारभूत मूल्य वे हैं जो लोक सेवा के आदर्शों एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने में मार्गदर्शक का कार्य करते हैं, जैसे–सत्यनिष्ठा, प्रतिबद्धता, समर्पण आदि।
- भारत में लोक सेवा का सबसे महत्त्वपूर्ण मूल्य संवैधानिक मूल्यों के प्रति निष्ठा एवं वचनबद्धता का पालन है।
- यूनाइटेड किंगडम में वर्ष 1994 में लोक सेवा से संबंधित पदों पर आसीन व्यक्तियों के नैतिक मानक के निर्धारण हेतु नोलन समिति द्वारा सुझाव दिये गए। इनमें निःस्वार्थता, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, वस्तुनिष्ठता, जवाबदेही, खुलापन, नेतृत्व को सम्मिलित किया गया है।
- लोक-सेवकों में मूल्यों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिये ही आचार संहिता एवं आचरण संहिता बनाने की अनुशंसा द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट में की गई है।

अति लघुउत्तरीय प्रश्न (उत्तर लगभग 20 शब्दों में दीजिये)

(a) लोक-सेवा में अशक्त वर्गों के प्रति संवेदना की क्यों आवश्यकता है?
UKPSC (Mains) 2016
(b) लोक सेवा में आवश्यक प्रमुख मूल्य कौन से हैं?
(c) लोक प्रशासन में सत्यनिष्ठा का महत्त्व बताइये।
(d) सहिष्णुता एवं अशक्त वर्गों के प्रति संवेदना का क्या अर्थ है?
(e) लोक सेवा के प्रति समर्पण की धारणा को स्पष्ट कीजिये।
(f) समानुभूति से क्या तात्पर्य है?
(g) अभिरुचि का क्या महत्त्व है?

लघु एवं दीर्घउत्तरीय प्रश्न (उत्तर लगभग 50, 125 या 250 शब्दों में दीजिये)

1. विभिन्न विचारधाराओं के द्वारा वर्णित सिविल सेवा के अनिवार्य नैतिक मूल्यों की व्याख्या कीजिये।
(250 शब्द) UKPSC (Mains) 2016
2. प्रशासन में सत्यनिष्ठा और नैतिकता बढ़ाने के उपाय बताइये।
3. लोक सेवा हेतु आधारभूत योग्यताओं में निष्पक्षता क्या है?
4. लोक सेवा हेतु आधारभूत योग्यताओं और मूल्यों का परीक्षण कीजिये।
5. अभिरुचि का लोक-सेवाओं में क्या महत्त्व है?
6. प्रशासकीय अधिकारियों के प्रशिक्षण में नैतिकता प्रशिक्षण के उद्देश्यों की चर्चा कीजिये।
7. लोक सेवा के बुनियादी मूल्यों का संक्षिप्त परिचय दीजिये।

अध्याय
7

लोक प्रशासन में सिविल सेवा मूल्य तथा नैतिकता (Civil Service Values and Ethics in Public Administration)

लोक प्रशासन में नैतिकता की स्थिति अच्छी या बुरी हो सकती है। सामान्य रूप से अच्छी या बुरी स्थिति के अतिरिक्त लोक प्रशासन में नैतिकता की स्थिति का अनुमान नैतिक मूल्यों की तीव्रता तथा उनके पालन के आग्रह से लगता है। लोक प्रशासन में नैतिकता की स्थिति अनेक कारणों पर निर्भर करती है, जैसे- सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, विधिक, न्यायिक व ऐतिहासिक कारक।

प्रारंभ में लोक प्रशासन में नैतिक मूल्यों को शामिल किया जाए या नहीं, इस विषय पर अकादमिक विवाद उठ खड़ा हुआ था। विवाद 'मूल्य' तथा 'तथ्य' को लेकर था। कुछ विचारकों का मानना था कि नीतिशास्त्र का संबंध मूल्यों से है और लोक प्रशासन मूलत: निर्णय तथा कार्यवाही जैसी तथ्यात्मक प्रक्रियाओं से जुड़ा है। परंतु वर्तमान समय में नैतिकता तथा नैतिक मूल्यों को लोक प्रशासन का अभिन्न अंग माना जाता है। समानता, न्याय, मानवाधिकार जैसे मूल्य लोक प्रशासन के अभिन्न अंग माने गए हैं। लोक प्रशासक का दायित्व केवल तथ्यों के आधार पर कार्यवाही कर देना या निर्णय लेना भर नहीं है बल्कि इनमें नैतिक मूल्यों का समावेशन और समाज में नैतिक मूल्यों का संरक्षण भी उनकी ज़िम्मेदारी है।

7.1 प्रशासन में नैतिक स्थिति के निर्धारक *(Determinants of Ethical Status in Administration)*

ऐतिहासिक कारक *(Historical factors)*

ऐतिहासिक कारक लोक प्रशासन में नैतिकता की स्थिति पर गहन प्रभाव डालते हैं। भारत में प्रशासन पर सबसे पुरानी पुस्तक 'अर्थशास्त्र' में अनेक भ्रष्ट व अनैतिक रीतियों का वर्णन मिलता है जिससे प्रतीत होता है कि मौर्य कालीन प्रशासन भी नैतिकता के संकट से जूझ रहा था। मध्यकाल में तुगलक वंश के फिरोज़ शाह तुगलक ने उदारता का एक बहुत ही गलत उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अपने एक सिपाही को कुछ धन इसलिये उधार दिया था ताकि उस धन को रिश्वत में देकर वह अपना वेतन प्राप्त कर सके।

मुगल बादशाहों ने भी इस मामले में कोई बहुत अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया। इस युग में 'नज़राना' तथा 'बख्शीश' रिश्वत के सामाजिक रूप से स्वीकार्य रूप थे। प्रशासन में नैतिकता का यह स्तर निरंतर गिरता ही गया। कार्नवालिस ने इस संदर्भ में भारतीय प्रशासकों की घोर आलोचना करते हुए उन्हें बेईमान तथा चरित्रहीन बताया है। परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज़ अफसरों की हालत भी बहुत बेहतर नहीं थी और उनमें से कई की आलोचना तो ब्रिटिश संसद ने भी की।

प्रशासन में इस अनैतिक परिपाटी का स्वाभाविक परिणाम प्रशासन तथा समाज में भ्रष्टाचार की स्वीकार्यता के रूप में प्रकट होता है। इसका एक अन्य परिणाम अभिजात प्रशासक वर्ग के सृजन के रूप में भी सामने आया। यह अभिजात वर्ग प्रशासन में साधारण वर्ग की उपस्थिति तथा भागीदारी को दुरूह बनाकर प्रशासन पर सतत् रूप से प्रभावी है।

सामाजिक कारक *(Social factors)*

भारतीय समाज में आज धन का महत्त्व किसी भी अन्य मूल्य की तुलना में अत्यधिक बढ़ गया है। धन के संदर्भ में भारतीय समाज ने अनजाने में ही परिणाम सापेक्षवाद (Teleology) को अपना लिया है। अब साधन-साध्य विवाद कोई खास मायने नहीं रखता और साध्य से ही साधन की पवित्रता निर्धारित हो जाती है। महात्मा गांधी के बाद से किसी ने भी साधन की पवित्रता पर ज़ोर नहीं दिया है। इसके परिणामस्वरूप धन कमाने में साधनों का नैतिक होना अनिवार्य नहीं रह गया है और अनैतिक तरीके से कमाए गए धन को सामाजिक स्वीकृति प्राप्त हो गई है।

अध्याय
8

शासन व्यवस्था में ईमानदारी (Probity in Governance)

सामाजिक न्याय की प्राप्ति तथा प्रशासन में दक्षता के लिये शासन व्यवस्था में ईमानदारी अनिवार्य है। शासन में ईमानदारी की उपस्थिति के लिये प्रभावी कानून, नियम, विनियम होने आवश्यक हैं और साथ ही यह भी आवश्यक है कि इनका अनुपालन प्रभावी तरीके से कराया जाए। पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व जैसे गुण शासन में ईमानदारी को बढ़ाने में सहायक हैं। 'सूचना का अधिकार अधिनियम' जैसे कदमों द्वारा पारदर्शिता तथा 'सिटिज़न चार्टर' व 'सेवोत्तम मॉडल' जैसे कदमों ने उत्तरदायित्व की भावना को मज़बूत करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

ईमानदारी आंतरिक रूप से अनुशासन से संबंधित है और भारत में लोक जीवन से अनुशासन दिन-प्रतिदिन कम होता जा रहा है। पश्चिमी देशों में व्यक्ति उच्च पदों पर पहुँचने के साथ ही कानून के प्रति सम्मान का भाव विकसित कर लेते हैं और शासक वर्ग भी कानूनों का पालन ईमानदारी व अनुशासन के साथ करता है। लेकिन, भारत में व्यक्ति की शक्ति को लोग इस बात से आँकते हैं कि वह किस सीमा तक कानून से परे जाकर काम करवा सकता है।

ईमानदारी सत्यता, निष्ठा जैसे उच्च नैतिक सिद्धांतों के होने की उच्च गुणवत्ता है। ईमानदारी प्रक्रिया में नैतिक व्यवहार का सबूत है। शासन में ईमानदारी बनाए रखना केवल भ्रष्ट या बेईमान आचरण से बचना ही नहीं है, साथ में निष्पक्षता, जवाबदेही और पारदर्शिता जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के मूल्यों को भी लागू करना पड़ेगा।

संविधान और कानून शासन को कानूनी ढाँचा प्रदान करते हैं, लेकिन देश में सुशासन सुनिश्चित करने के लिये शासन प्रणाली में ईमानदारी की आवश्यकता है और ईमानदारी ही सरकार और देश के लोगों के बीच बेहतर संबंध सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शासन की कुशल और प्रभावी प्रणाली के लिये और विकास की समग्र प्रक्रिया के लिये शासन में ईमानदारी एक अनिवार्य और महत्त्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कानूनों और नियमों का प्रभावी क्रियान्वयन करने में और सार्वजनिक अधिकारियों के बीच अनुशासन पैदा करने में मदद करती है।

शासन में ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिये भ्रष्टाचार का निर्मूलन अत्यावश्यक होगा, उसके साथ ही नियम-कानूनों को बनाना और उनका प्रभावी और निष्पक्ष कार्यान्वयन भी करना चाहिये।

8.1 लोक सेवा की अवधारणा *(Concept of Public Service)*

लोक सेवा को मुख्यत: दो अर्थों में परिभाषित किया जा सकता है। पहले अर्थ में लोक सेवा के अंतर्गत वे सभी सेवाएँ शामिल हैं जिन्हें किसी देश की सरकार अपने सभी नागरिकों को उपलब्ध कराने का दायित्व स्वीकार करती है। लोकतांत्रिक-कल्याणकारी राज्य के युग से पहले राज्य द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं की संख्या अत्यंत कम थी क्योंकि राज्य का स्वरूप 'पुलिस राज्य' का था। पुलिस राज्य का मूल कार्य न्याय और प्रशासन जैसी सेवाओं तक सीमित था।

कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आने के बाद से लोक सेवाओं के दायरे का निरंतर विस्तार हुआ है। अब लोक सेवा के अंतर्गत कई अन्य सेवाओं जैसे जल, विद्युत, स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, रोज़गार, सामाजिक न्याय इत्यादि को भी शामिल कर लिया गया है। लोक सेवाओं की प्रकृति व उपलब्धता से जुड़ी कुछ बातों के आधार पर राज्य की प्रकृति का अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे-

(i) राज्य, अपने नागरिकों को कितने प्रकार की लोक-सेवाएँ उपलब्ध कराता है?

(ii) राज्य, सारी लोक-सेवाएँ स्वयं ही उपलब्ध कराता है या राज्य व निजी क्षेत्र मिलकर सुविधाएँ उपलब्ध कराते हैं या सारी लोक-सेवाएँ निजी क्षेत्र उपलब्ध कराता है?

(iii) राज्य, सेवाएँ नि:शुल्क उपलब्ध कराता है या बाज़ार कीमत पर या कुछ सब्सिडी देकर?

साम्यवादी राज्य प्राय: सभी लोक-सेवाएँ स्वयं उपलब्ध कराता है जबकि पूंजीवादी राज्य में प्राय: सभी लोकसेवाएँ निजी क्षेत्र द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। भारत जैसे समाजवादी या सम्मिश्रित प्रकृति के राज्य में लोक-सेवाएँ उपलब्ध कराने का काम निजी व सरकारी दोनों क्षेत्र करते हैं।

अध्याय
9

भ्रष्टाचार (Corruption)

भ्रष्टाचार को भारत की एक गंभीर एवं जटिल समस्या के रूप में स्वीकार किया जाता है। यहाँ राजनीतिक भ्रष्टाचार एवं प्रशासनिक भ्रष्टाचार घनिष्ठ रूप से संबद्ध हैं इसलिये भारत में अन्य देशों की तुलना में अधिक गंभीर एवं व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार पाया जाता है। देश के विकास में भ्रष्टाचार बहुत बड़ी बाधा है। लोक-कल्याणकारी राज्य एवं संविधान में उल्लेखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये भ्रष्टाचार का उन्मूलन अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान भारत में भ्रष्टाचार एक सामाजिक मूल्य के रूप में स्वीकृत हो गया है, जहाँ राजनेता, प्रशासनिक अधिकारी, उद्योगपति और अपराधियों की गठजोड़ से ऊपर से नीचे तक चलने वाला भ्रष्टाचार का दुष्चक्र समाज के संसाधनों का दुरुपयोग करता है। जो धन सार्वजनिक कार्य में लगना चाहिये वह भ्रष्टाचारियों की भेंट चढ़ जाता है। भारत में भ्रष्टाचार का दायरा निरंतर बढ़ता जा रहा है। नित नए सामने आते भ्रष्टाचार के मामले भारतीय लोकतंत्र को भी गंभीर हानि पहुँचा रहे हैं।

आजाद हिंदुस्तान की तकदीर में भ्रष्टाचार का दीमक कुछ इस तरह समाया है कि आज जीवन, समाज और सरकार का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा जो सुरक्षित हो। संसद से सड़क तक, मंदिर से दफ्तर तक खेल संगठनों व अस्पतालों तक हर जगह लूट मची हुई है। 1 लाख 86 हजार करोड़ रुपए का कोयला घोटाला, 70,000 करोड़ रुपए का राष्ट्रमंडल खेल घोटाला, 900 करोड़ रुपए का चारा घोटाला, आई.पी.एल. घोटाला, आदर्श सोसायटी घोटाला, बोफोर्स तोप घोटाला, रक्षा खरीद घोटाला, ताबूत घोटाला तथा विदेशी बैंकों में पड़ा 120 लाख करोड़ रुपए का काला धन क्या साबित करता है? जनप्रतिनिधि सरकारी ठेके के नाम पर ठगता है, न्यायाधीश गलत न्याय के नाम पर लूटता है, पत्रकार खबर दबाने तथा झूठे प्रचार के नाम पर मालामाल होता है तो सरकारी बाबू, इंजीनियर, डॉक्टर, पुलिस, क्लर्क और चपरासी दफ्तर में लोगों से घूस लेते हैं। शिक्षाविद् शिक्षा बेचने पर उतारू है, पुजारी मंदिर की आस्था और भगवान बेचने पर उतारू है, डॉक्टर इनसान बेचने पर उतारू है तो न्यायाधीश ईमान बेचने पर उतारू है। कोई दहेज़ से कमाता है तो कोई चापलूसी और दलाली से। भ्रष्टाचार के इस दौर में धनवान इतराता है, बुद्धिजीवी खामोश है, मीडिया बिक चुकी है तथा आम जनता त्रस्त है।

भ्रष्टाचार की उपस्थिति किसी भी लोकतंत्र के लिये स्वस्थता का लक्षण नहीं है। वर्तमान समय की अनेक समस्याओं की जड़ भ्रष्टाचार को माना जा सकता है। भ्रष्टाचार केवल नैतिकता पर प्रश्न नहीं है बल्कि भारत जैसे विकासशील देश की आर्थिक उन्नति में सबसे बड़ी बाधा है इसलिये भारतीय लोकतंत्र का सशक्तीकरण, आर्थिक उन्नति, चहुँमुखी विकास एवं लोक-कल्याणकारी शासन की स्थापना के लिये भ्रष्टाचार उन्मूलन की अत्यंत आवश्यकता है।

9.1 भ्रष्टाचार : प्रकार एवं कारण *(Corruption : Types and Causes)*

भ्रष्टाचार अपने स्वरूप में इतना अधिक व्यापक है कि उसकी कोई एक स्पष्ट, सटीक एवं सुनिश्चित परिभाषा देना संभव नहीं है। फिर भी इसे सार्वजनिक धन के व्यक्तिगत लाभ के लिये प्रयोग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। हालाँकि यह परिभाषा भी पूर्णतः दोषमुक्त नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र में इसे राजनीतिक भ्रष्टाचार व प्रशासनिक भ्रष्टाचार के रूप में विभाजित किया जा सकता है। राजनीतिक भ्रष्टाचार मूलतः नीति निर्माण से जुड़ा है। इसके अंतर्गत नीतियों, कानूनों, नियमों, विनियमों में इस तरह का परिवर्तन लाने की चेष्टा की जाती है कि ये किसी समूह विशेष या व्यक्ति विशेष को अधिक लाभ पहुँचाए। नौकरशाही से जुड़ा हुआ भ्रष्टाचार नीतियों को लागू करने से संबंधित है। रिश्वत, भाई-भतीजावाद, घोटाले, धोखाधड़ी भ्रष्टाचार के सर्वाधिक प्रचलित रूप हैं।

भ्रष्टाचार नैतिकता की विफलता का एक महत्त्वपूर्ण आविर्भाव है। अंग्रेज़ी का 'corrupt' शब्द लैटिन शब्द 'corruptus' से लिया गया है, जिसका अर्थ है– 'तोड़ना या नष्ट करना'। भ्रष्टाचार भ्रष्ट (बिगड़ा हुआ) + आचार (व्यवहार) से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है ऐसा बिगड़ा हुआ आचरण करना जिसकी अपेक्षा लोक-सेवकों से नहीं की जाती। भ्रष्टाचार की परिभाषा भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) की धारा 161 में दी गई है तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947

अध्याय
10

आपदा प्रबंधन में लोक सेवकों की भूमिका (Role of Public Servants in Disaster Management)

आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में, किसी नीति की घोषणा करना अथवा कानून लागू करना या संस्था सृजित करना अपेक्षाकृत सरल कार्य है, परंतु वांछित परिणामों की प्राप्ति के लिये नीतियाँ कार्यान्वित करना चुनौती है। आपदा प्रबंधन अधिशासन संबंधी मुद्दा भारत की प्रशासनिक प्रणाली के केंद्रबिंदु में है। इस प्रणाली को अभिनव विचारों और प्रशासन के आपातकालीन प्रत्युत्तरों को तीव्र करने तथा संकट की स्थिति का सामना करने के लिये तंत्र की प्रभावोत्पादकता बढ़ाने और संकट के लिये तैयारी में वृद्धि करने के लिये बुनियादी परिवर्तनों की अपेक्षा है। आपदा से निपटते समय हमें आपदा के कारण लोगों द्वारा अनुभव की जाने वाली भावनात्मक और सामाजिक समस्याओं के प्रति विशेष रूप से उत्तरदायी होना आवश्यक है। आपदा से प्रभावित लोगों के लिये मनोसामाजिक देखभाल अनिवार्य है। इसलिये आपदा प्रबंधन में लोक सेवक की भूमिका बहुत ही महत्त्वपूर्ण हो जाती है।

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की तीसरी रिपोर्ट

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी तीसरी रिपोर्ट- "संकट प्रबंधन: निराशा से आशा की ओर (Crisis Management : From Despair to Hope)" में आपदा प्रबंधन को ही केंद्रित किया है। इस प्रतिवेदन में आपदा प्रबंधन की रूपरेखा, प्रमुख आपदाएँ एवं उनके कार्यक्षेत्र, कानूनी एवं संस्थात्मक ढाँचे, जोखिम में कमी, सूखा प्रबंधन तथा महामारियों आदि के संदर्भ में सुझाव दिये गए हैं।

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा अपनी तीसरी रिपोर्ट में आपदा प्रबंधन से संबंधित निम्नलिखित अनुशंसाएँ की गई हैं-

- भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत समवर्ती सूची में "प्राकृतिक एवं मानवनिर्मित आपदाएँ और आपातकालीन संकटों का प्रबंधन" नाम से एक नवीन विषय को जोड़ा जाए।
- आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में संशोधन कर 'आपदा प्रबंधन' को प्रमुखत: राज्य सरकार का दायित्व बनाते हुए केंद्र सरकार को सहायता भूमिका में रखा जाएँ।
- आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में आपदाओं को राष्ट्रीय, राज्य, ज़िला एवं स्थानीय स्तर में वगीकृत करते हुए प्रत्येक स्तर पर आपदा प्रबंधन हेतु उत्तरदायी प्राधिकरण का निर्धारण भी किया जाए। साथ ही राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्य संशोधित किये जाएँ।
- राष्ट्रीय आपदा राहत बल की स्थापना के बावजूद सशस्त्र बलों की भूमिका बनी रहनी चाहिये।
- स्थानीय स्वशासन एवं उनके प्राधिकारियों की भूमिका, उत्तरदायित्व व जवाबदेही स्पष्ट करने हेतु उपबंध किये जाने चाहियें।
- आपदा प्रबंधन से संबंधित उत्तरदायित्वों के प्रभावी ढंग से निर्वहन हेतु राहत आयुक्तों व आपदा प्रबंधन विभागों को अधिकार प्रदान किये जाएँ।
- आपदा प्रबंधन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थानों से सहायता प्राप्त करने हेतु तंत्र विकसित किया जाए।
- जोखिम न्यूनीकरण, आपदा का सामना करने एवं पुनर्वास आदि के लिये सामाजिक स्तर पर जागरूकता लाने के प्रयास किये जाने चाहियें तथा इससे मीडिया एवं अन्य संस्थाओं को भी जोड़ा जाना चाहिये।
- आपदाओं के जोखिम न्यूनीकरण के लिये एक राष्ट्रीय नीति बननी चाहिये तथा जोखिम प्रबंधन को पेशेवर स्वरूप दिया जाना चाहिये।
- आपदा प्रबंधन योजनाओं को विकास योजनाओं का हिस्सा बनाया जाना चाहिये। साथ ही पर्यावरण प्रबंधन को समस्त विकास एवं आपदा प्रबंधन योजनाओं का अभिन्न हिस्सा बनाया जाना चाहिये।
- आपदारोधी भवनों का निर्माण किया जाना चाहिये।

अध्याय
11

केस स्टडी (Case Study)

केस स्टडी इस प्रश्न-पत्र के पूरे पाठ्यक्रम का अनुप्रयुक्त रूप (Applied form) है। यह इकाई पाठ्यक्रम की अन्य इकाइयों की तरह स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखती बल्कि सभी इकाइयों का सम्मिलित रूप है। केस स्टडी से संबंधित प्रश्न हल करने के लिये आवश्यक है कि पहली सात इकाइयों की अध्ययन सामग्री आपकी विचार प्रक्रिया का अंग बन जाए। विचार प्रक्रिया का अंग बनने का अर्थ है कि जब कोई केस स्टडी आपके सामने आए तो यह सोचने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिये कि इसे टीलियोलॉजी से करना है या डीआंटोलॉजी से, बल्कि केस स्टडी का जो हल आप निकालें उसे अपने आप उपयुक्त विचारधारा के संगत होना चाहिये।

इस प्रश्न-पत्र में बेहतर अंक लाने का सबसे अच्छा तरीका है इसके पाठ्यक्रम में पढ़ी हुई बातों को जीवन में लागू करके देखना। अपने आस-पास की परिस्थितियों व घटनाओं पर गौर करें और विभिन्न लोगों (स्वयं, मित्र, माता-पिता, भाई-बहन) के निर्णयों का विश्लेषण करें। क्या इनके द्वारा लिये गए विभिन्न निर्णय नैतिक दृष्टि से उचित हैं? यदि निर्णयों में औचित्य का अभाव है या वे अनैतिक हैं तो निर्णय को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों पर विचार कीजिये। ऐसे कौन से कारक हैं जो व्यक्तियों को अनैतिक निर्णय लेने के लिये बाध्य करते हैं और आप स्वयं ऐसे दबावों से किस हद तक मुक्त हैं? केस स्टडी का हल आपको प्राय: ऐसे ही प्रश्नों से टकराते हुए खोजना होगा।

केस स्टडी को हल करने की रणनीति

1. कृत्य अथवा घटना की परिस्थिति तथा उसके प्रभाव का विश्लेषण करना चाहिये, जैसे-
   (i) अनैतिक कार्य किया जा चुका है या किया जा रहा है या बाद में होने वाला है। यदि कार्य किया जा रहा है या होने वाला है तो कृत्य को रोकने के उपाय प्राथमिक होंगे परंतु अगर घटना हो चुकी है तो उसके प्रभाव का प्रबंधन प्राथमिकता में होगा।
   (ii) जिस व्यक्ति ने कार्य किया क्या उसकी परिस्थितियाँ बाध्यकारी थीं या वह अनुकूल परिस्थितियों के बावजूद ऐसा कर रहा था? परिस्थितियों के अनुरूप दंड में कठोरता या विनम्रता का समावेश होना चाहिये।
   (iii) कार्य का प्रभाव किस पर पड़ा और कितना पड़ा? यदि किये गए कार्य से कर्त्ता की ही हानि हुई है तो विशेष कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। कई मामलों में तो कर्त्ता दया का पात्र भी हो सकता है। अगर प्रभाव किसी अन्य व्यक्ति पर हुआ है तो स्थिति को गंभीरता से लेना होगा। अगर कार्य का प्रभाव अतिव्यापक रूप से समाज पर हुआ है तो यह अति गंभीर मामला बनता है। यह भी ध्यान रखना चाहिये कि प्रभाव का स्तर क्या है? जैसे यदि कार्य से किसी व्यक्ति अथवा समाज के अस्तित्व को चुनौती मिलती है तो अति गंभीर मामला बनता है, परंतु यदि कार्य से केवल साधारण स्तर पर थोड़ा-बहुत प्रभाव पड़ रहा है जैसे किसी कक्षा में बच्चे का चिल्लाना, तो हल्के उपायों से ही समाधान किया जाना चाहिये।
   (iv) कर्त्ता की परिस्थितियों में उसकी आयु पृष्ठभूमि तथा तात्कालिक परिस्थितियों पर ध्यान दें। यदि तात्कालिक परिस्थितियाँ कठिन हैं तो यह ध्यान दें कि उनके पीछे उसकी स्वयं की ज़िम्मेदारी कितनी बनती है।
2. निर्णयकर्त्ता के सामने कौन-कौन से नैतिक विकल्प उपलब्ध हैं उनकी सूची बनाएँ। कदम-दर-कदम (Step-by-Step) सोचते हुए अधिकतम विकल्पों पर विचार करें।
3. विभिन्न नैतिक विकल्पों को अपनाने से होने वाले संभावित परिणामों पर विचार करें। यह विचार अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक दोनों दृष्टियों से होना चाहिये। यह भी सोचना चाहिये कि नैतिक विकल्प का परिणाम हमारे उद्देश्य से सुसंगत होगा कि नहीं। परिणाम पर विचार करने के कुछ आधार हैं:

अध्याय
12

महत्त्वपूर्ण शब्दावली एवं उनमें अंतर
(Important Terminology and Differences Between Them)

- **अभिवृत्ति (Attitude):** अभिवृत्ति का सामान्य अर्थ व्यक्ति में किसी मनोवैज्ञानिक विषय (तटस्थ व्यक्ति, वस्तु, समूह, विचार, स्थिति या कुछ और जिसके बारे में भाव) के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक अस्थायी भाव की उपस्थिति है। दूसरे शब्दों में किसी मनोवैज्ञानिक विषय के पक्ष या विपक्ष में सकारात्मक या नकारात्मक भाव की तीव्रता को अभिवृत्ति कहते हैं। सामान्य तौर पर अभिवृत्तियाँ व्यक्तिगत अनुभव एवं समाज के साथ अंतर्क्रिया द्वारा सीखी जाती है। इस दृष्टिकोण के समर्थक मानते हैं कि अभिवृत्ति किसी मनोवैज्ञानिक विषय के प्रति संज्ञानात्मक, भावात्मक, व्यवहारात्मक तीनों संघटकों के अपेक्षाकृत स्थायी मानसिकता है।
- **अभिरुचि (Interest):** अभिरुचि किसी व्यक्ति की विशेषताओं का ऐसा संयोजन है जो बताता है कि यदि उसे उचित वातावरण एवं प्रशिक्षण दिया जाए तो वह किसी क्षेत्र विशेष में सफल होने के लिये आवश्यक योग्यताओं तथा दक्षताओं को सीखने की कितनी क्षमता रखता है। यह किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित कौशल सीखने या ज्ञानार्जन की जन्मजात अथवा अर्जित क्षमता है। सामान्य तौर पर अभिरुचियाँ जन्मजात होती हैं लेकिन इन्हें उचित वातावरण एवं प्रशिक्षण से अर्जित भी किया जा सकता है।
- **मूल्य (Value):** मूल्य का अर्थ सर्वथा गहरे नैतिक आदर्शों से होता है ऐसे आदर्श जो समाज की दृष्टि में उचित, न्यायपूर्ण एवं न्यूनतम मानवीय गुण हैं, उन्हें मूल्य कहा जाता है। उदाहरण के लिये-शांति, न्याय, सहिष्णुता, आनंद, ईमानदारी, समयबद्धता, समर्पण, दया, करुणा आदि प्रसिद्ध आदर्श मूल्य हैं। मूल्यों के संबंध में समाज की समझ होती है कि वे सामाजिक जीवन को संभव व श्रेष्ठ बनाने के लिये आवश्यक है। नीतिशास्त्र में जो उचित है वह मूल्ययुक्त तथा जो अनुचित है वह मूल्यहीन कहलाता है।
- **अंत:करण की आवाज़ (Voice of conscience):** अंत:करण की आवाज़ से तात्पर्य उस आंतरिक प्रेरणा से है, जो हमारे किसी व्यवहार के नैतिक या अनैतिक होने को बताता है। अंत:करण की आवाज़ सत्य एवं पवित्र होती है तथा यह अधिकांशत: नैतिक निर्णय लेने के लिये प्रेरित करती है। चूँकि मनुष्य की अंतरात्मा बाह्य दबावों व परिस्थितियों से निर्देशित नहीं होती, इसलिये यह किसी कृत्य के नैतिक या अनैतिक होने का निर्णय अधिक श्रेष्ठता से कर पाती है। सार रूप में कहें तो भौतिक लाभ-हानि, सांसारिक अर्थों से परे नैतिकता-अनैतिकता की जो आवाज़ मन के अंदर से आती है वही अंत:करण की आवाज़ है। उदाहरण के लिये जब कोई चोरी कर रहा होता है और उसे कोई नहीं देख रहा होता है, तब भी अंत:करण की आवाज़ उसे यह बताती है कि वह गलत कर रहा है।
- **विवेक का संकट (Crisis of Discretion):** 'विवेक का संकट' से तात्पर्य एक ऐसी स्थिति से है जब हम निर्णय नहीं कर पाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत? अर्थात् सही के रूप में किसी एक पक्ष को चुनना संभव नहीं हो पाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो विवेक का संकट उस स्थिति को कहते हैं जब अंतरात्मा दो परस्पर विरोधी मूल्यों या विकल्पों में से किसी एक के पक्ष में ठोस निर्णय न दे सके। यह उस नैतिक दुविधा को दर्शाता है, जब किसी एक पक्ष में निर्णय लेते समय दूसरे पक्ष के साथ अनैतिक हो जाने का डर हो।
- **भावनात्मक बुद्धिमत्ता (Emotional Intelligence):** भावनात्मक बुद्धिमत्ता वह योग्यता है जिससे व्यक्ति अपनी तथा अन्य व्यक्तियों की भावनाओं तथा अनुभूतियों को पहचानता है, उनमें अंतर करता है तथा इस सूचना का प्रयोग अपने चिंतन तथा क्रियाओं को निर्देशित करने के लिये करता है। दूसरे शब्दों में अपनी भावनाओं को परिस्थिति के अनुसार नियंत्रित व निर्देशित कर, पारस्परिक संबंधों का विवेकानुसार और सामंजस्यपूर्ण तरीके से प्रबंधन करने की क्षमता भावनात्मक बुद्धिमत्ता कहलाती है।
- **प्रयोजनवाद (Teleologism):** प्रयोजनवाद के अनुसार किसी कार्य के नैतिक या अनैतिक होने का निर्णय उस कार्य के परिणाम से तय होगा, न कि निश्चित नैतिक नियमों से। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि नैतिक नियमों पर यदि कार्य का परिणाम भारी है तो वह कर्म सापेक्षत: नैतिक ही माना जाएगा।

डी.एल.पी. बुकलेट्स की विशेषताएँ

- आयोग के नवीनतम पैटर्न पर आधारित अध्ययन सामग्री।
- पैराग्राफ, बुलेट फॉर्म, सारणी, फ्लोचार्ट तथा मानचित्र का उपयुक्त समावेश।
- विषयवस्तु की सरलता, प्रामाणिकता तथा परीक्षा की दृष्टि से उपयोगिता पर विशेष ध्यान।
- क्विक रिवीजन हेतु प्रत्येक अध्याय में महत्त्वपूर्ण तथ्यों का संकलन।
- प्रत्येक अध्याय के अंत में विगत वर्षों में पूछे गए एवं संभावित प्रश्नों का समावेश।

Website : www.drishtiIAS.com
E-mail : online@groupdrishti.com

DrishtiIAS

YouTube Drishti IAS

drishtiias

drishtithevisionfoundation

641, First Floor, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009
Phones : 011-47532596, +91-8130392354, 813039235456